मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2006 (पौष 14, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में गुजरात विधानसभा के माननीय सदस्यगण सर्वश्री नारायण भाई पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, जोथाजी टखोर, मालजी भाई देसाई, शंकर भाई चौधरी, कांतिभाई लकूम, प्रगजी भाई पटेल, भविनभाई शेठ, बाबूभाई जे. पटेल, मोहम्मद हुसेन शेख, भरत भाई पंड्या, हेमाजी राजपूत, भीमाभाई पटेल, दारशीभाई पटेल खानपुरा एवं श्रीमती बासूबेन त्रिवेदी तथा श्रीमती रमीला बेन बारा की उपस्थिति पर सदन की ओर से उनका स्वागत किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 104 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 128 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने भोपाल नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडीदीप से भोपाल के मध्य दीवार खड़ी होने से आवागमन की दूरी अधिक होने,

(2) श्री राजेश पटेल, सदस्य ने रायसेन जिले के बाड़ी विकासखंड के अन्तर्गत ग्राम देहरी कला में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,

(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी नगर में उपजेल को जिला जेल का दर्जा दिये जाने,

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के ग्राम नोधा स्थित प्राथमिक विद्यालय सहित अनेकों विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनाने वालों को कई माह से वेतन भुगतान न होने,

(5) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य ने सीधी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम/छात्रावासों का किराया भुगतान न हो पाने,

(6) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने बिजली के बिल अधिक वसूले जाने,

(7) श्री रामदयाल प्रभाकर, सदस्य ने शिवपुरी जिले के नागदा गजोर बांध की डूब भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने, तथा

(8) श्री प्रियव्रत सिह, सदस्य ने खिलचीपुर एवं जीरापुर तहसील में पेयजल परिवहन का पूर्ण भुगतान न होने से क्षेत्र में पेयजल संकट होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 42 वॉ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003,

(2) श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(i) वित्त लेखे वर्ष 2004-2005,

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2004-2005; एवं

(iii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष (सिविल),

(ख) राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम की 50 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004-2005, तथा

(ग) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेन्ट इनवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2003 एवं दिनांक 31 मार्च 2004 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(3) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2001-2002,

(4) चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 2003-2004 (उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा प्रेषित प्रमुख आपत्तियां, स्पष्टीकरण हेतु उत्तर एवं प्रमण्डल की टिप्पणियां),

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, राज्यमंत्री, खनिज साधन ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड की 43 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2004-2005, तथा

(6) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-11-37-05-एक-9, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005,

(ख) क्रमांक एफ-11-37-05-एक-9, दिनांक 28 अक्टूबर, 2005, तथा

(ग) क्रमांक एफ-11-39-2005-एक-9, दिनांक 13 अक्टूबर, 2005,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती अलका जैन, सदस्य ने कटनी जिले के रीठी विकासखण्ड अन्तर्गत अतिवृष्टि एवं बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि वितरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत बंड़ा के सरपंच की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेनद्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुंदेला, सदस्य ने छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम गौरिहार, ठकुर्रा एवं मुड़ाहार में पेयजल व्यवस्था कराये जाने,

(ख) ग्राम गौरिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन लगाये जाने,

(ग) ग्राम मुडेरी से गौरिहार तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम सरवई में समाज भवन बनाये जाने,

(ङ) नगर पंचायत चांदला को फायर ब्रिगेड मशीन उपलब्ध कराये जाने, तथा

(च) ग्राम ठकुर्रा से गौरिहार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) श्री दशरथ सिंह लोधी, सदस्य ने दमोह जिले के विकासखण्ड तेंदूखेड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बनाये जाने,

(3) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पिपलोदी में ट्रांसफार्मर लगाये जाने, तथा

(ख) ग्राम सिरोंजी में तालाब निर्माण कराये जाने,

(4) श्री गिरीश गौतम, सदस्य ने रीवा जिले के -

(क) ग्राम बेलवा पैरान में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने, तथा

(ख) ग्राम बेलवा पैरान में पशु औषधालय खोले जाने,

संबंधी याचिकायें प्रस्तुत की।

6. वक्तव्य

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने दिनांक 5 जुलाई, 2004 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्रमांक 1377) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (खण्ड न्याय पीठ को अपील) विधेयक, 2005 (क्रमांक 27 सन् 2005),
सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार पटेल

(2) श्री ओम प्रकाश पुरोहित

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ.

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री मनोहर लाल राठौर

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 23 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

(2) श्री ओम प्रकाश पुरोहित

श्री कैलाश विजयवर्गीय,ऊर्जा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री हिम्मत कोठारी, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री निशिथ पटेल

(12.58 बजे से 2.31 बजे तक अंतराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लालसिंह आर्य

(3) डॉ. आई.एम. पी. वर्मा

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) श्री आरिफ अकील

(6) श्री बृजेन्द्र तिवारी

(7) श्री इन्द्रजीत कुमार

(8) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(9) डॉ. सुनीलम्

(10) श्री रामनिवास रावत

(11) श्री रामलखन शर्मा

(12) श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने माननीय सदस्यों की सहमति से सदन से अनुरोध किया कि इस विधेयक को संशोधित रूप में प्रस्तुत करने हेतु कल तक के लिए लंबित रखा जाय.

सदन द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक 2005 (क्रमांक 26 सन् 2005) को कल तक के लिए लंबित रखे जाने हेतु सहमति प्रदान की गई.

(6) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2005) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजवर्धन सिंह

(2) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(3) डॉ. आई. एम. पी. वर्मा

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 25 सन् 2005) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा (क्रमशः)

(1) प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत की दरों में बार-बार वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में पुर्नग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप जायसवाल
(2) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार
(5) श्री रविन्द्र सुका महाजन
(6) श्री बृजमोहन धूत
(7) श्री अंतर सिंह दरबार
(8) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(चर्चा अपूर्ण)

9. सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज सभा की बैठक समाप्ति के तत्काल बाद विधान सभा भवन स्थित आडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना सुश्री वी.अनुराधा सिंह कत्थक नृत्य की प्रस्तुति करेंगी.

माननीय सदस्यों एवं पत्रकारों से अनुरोध है कि वे उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने का कष्ट करें.

05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी, 2006 (पौष 15 , 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.